Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आर.ए.एस. अधिकारी वीरेन्द्र वर्मा को ट्रेवल कम्पनी के मालिक द्वारा 4 लाख रुपये रिश्वत लेते–देते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपी वीरेन्द्र वर्मा के आवास की तलाशी में मिली 7 लाख रुपये नकद एवं करोडों रुपये की जायदाद के कागजात**
- **अन्य आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *7 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय को प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुये एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई द्वारा आज शुक्रवार को जयपुर में कार्यवाही करते हुये जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आर.ए.एस. अधिकारी वीरेन्द्र वर्मा एवं सहायक लेखाधिकारी महेश कुमार गोयल को उनके निवास पर नई दिल्ली के पारस ट्रेवल कम्पनी के मालिक नरेश सिंधल से 4 लाख रुपये रिश्वत लेते–देते रंगे हाथों किया गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. को मिली सूत्र सूचना से ज्ञात हुआ कि जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 100 मिनी सिटी बसों के आवंटन, संचालन में सुविधा, सब्सिडी रिलीज करने तथा अन्य विकास कार्यों की एवज में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उक्त सूत्र सूचना पर जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आर.ए.एस. अधिकारी वीरेन्द्र वर्मा एवं मैनेजर महेश कुमार गोयल एवं नई दिल्ली के पारस ट्रेवल कम्पनी के मालिक नरेश सिंधल तथा कर्मचारी अनुज पर सतत निगरानी रखी गई।

निगरापी एवं सत्यापन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आज **महानिदेशक ए.सी.बी. के निर्देश पर** एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा आज जनकपुरी अजमेर रोड, जयपुर स्थित वीरेन्द्र वर्मा के आवास पर कार्यवाही करते हुये वीरेन्द्र वर्मा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जे.सी.टी.एल, आर.ए.एस. अधिकारी व सहायक लेखाधिकारी महेश कुमार गोयल पुत्र श्री रामलाल गोयल निवासी 21/93, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर को नरेश सिंधल पुत्र श्री बुद्धीप्रकाश निवासी 3810/05 कन्हैया नगर, नई दिल्ली मालिक पारस ट्रेवल कम्पनी, नई दिल्ली से 4 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वीरेन्द्र वर्मा के आवास की तलाशी में 7 लाख रुपये नकद एवं करोडों रुपये की जायदाद के कागजात भी मिले हैं।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में अन्य आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।